...पेशी इस्तगाल की जाकर ...
...को पेश हो। आदेश है।

01/9/20 पत्रावली पेश हुई वकील अर्ज़ मिसल वास्ते पूर्व तालिका आदेश की पालना हेतु दिनांक 15/9/2020 को पेश हो।

15/9/20 पत्रावली पेश हुई वकील अर्ज़. मिसल पूर्व तालिका आदेश की पालना वास्ते हेतु दिनांक 30-9-2020 को पेश हो।

30-9-20 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी अवकाश/अवकाश पर/दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पेशी इस्तगाल की जाकर पत्रावली दिनांक 20.10.2020 को पेश हो। आदेश है।

20/10/20 पत्रावली पेश हुई वकील वादी हाज़िर तहसीलदार के हस्ताक्षर सहित रिपोर्ट शामिल मिसल की गई वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसिल किया गया निर्णय खुले इजलास सुनाया गया डिक्री पर्चा जारी किया जाकर शामिल मिसिल किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार तिवड़ी को तहरीर जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with CamScanner

5 जादुराम पुत्र श्री तेजाराम
6 जोराराम पुत्र श्री कोजाराम
जाति विश्नोई निवासी चैराई
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

वादीगण :–

1 नखतसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह
2 महेन्द्रसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह
जाति राजपूत निवासी चांदसमा
तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ।
3 श्री तहसीलदार साहब, औसिया ।
श्री सब रजिस्ट्रार, औसिया ।

उपस्थिति –

1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।
2 प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही एक पक्षीय कार्यवाही।

वाद अन्तर्गत धारा 88,92 ए,188, आर.टी.एक्ट. 1955

– निर्णय – **दिनाक** – 20/10/2020

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील औसिया के ग्राम चैराई की सरहद मे खसरा नम्बर 1858 रकबा 2 बीस्वा, गै.मु.बाडा, खसरा नम्बर 1859 रकबा 5 बीस्वा, गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1860 रकबा 102 बीघा 11 बीस्वा भूमि वादीगण की कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के नाम शिकमी काश्तकार के रूप मे दर्ज है । उपरोक्त वर्णित भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व से वादीगण एवं उनके पूर्वज काश्त करते आ रहे है । उक्त भूमि मे वादीगण व उनके पुत्रो की दस, बारह रिहायसी ढाणीये, बाडा, टांके आदि

सहायक कलेक्टर, ओसिया

Scanned with CamScanner

हुए है । उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे हल्का पटवारी ने भूल व लापरवाही से
सिंह पुत्र श्री पदमसिंह साकिन चांदसमा के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी तथा
भूमि के राजस्व रेकर्ड मे वादीगण का बतौर शिकमी काश्तकार के नाम दर्ज
दिया गया । जिसकी जानकारी वक्त सेटलमेन्ट वादीगण एवं उनके पूर्वजो को
थी । वादग्रस्त भूमि का लगान वादीगण वक्त सेटलमेन्ट से लेकर तावसूली
अदा करते आ रहे थे । लगान की रसीदे वाद के साथ मे पेश है ।
तिवादीगण के पिता इन्द्रसिंह ग्राम चैराई के जुने जागिरदार थे, वे कभी काश्तकार
ही थे , न ही उन्होने वादग्रस्त भूमि मे कभी निवास व काश्त किया । वक्त
सेटलमेन्ट प्रतिवादीगण के पिता ग्राम चांदसमा मे ही रहते थे एवं प्रतिवादीगण भी
आज दिन ग्राम चांदसमा मे ही निवास करते है । वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के
कब्जे काश्त की प्रतिवादीगण के पिता इन्द्रसिंह ने कभी किसी प्रकार की
दखलन्दाजी व हस्तक्षैप नही किया और न ही किसी अन्य ने किया और न ही
उन्होने अपने जीवनकाल मे किसी प्रकार के खातेदारी हक जताये और न ही कभी
वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे अपना स्वामित्व व मालिकाना हक जताया । इन्द्रसिंह
ने अपने जीवनकाल मे हमेशा यही कहा कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे गलती से
दर्ज हो गया है। जिसे वे कभी भी अपना नाम निकलवा देगे । इसलिए मृतक
इन्द्रसिंह के नाम को राजस्व रेकर्ड मे से हटाने का कोई बिनाय दावा पैदा नही
हुआ । प्रतिवादीगण के पिता इन्द्रसिंह का देहान्त हो चुका है तथा वादग्रस्त जमीन
के राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण के पिता इन्द्रसिंह का नाम आज भी दर्ज होने के
कारण प्रतिवादीगण की नीयत खराब हो गई जिन्होने हाल ही मे दिंनाक 20.1.2013
को वादग्रस्त भूमि पर आकर वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी तथा उक्त
भूमि को बेचान फरोक्त करने की भी धमकी दी इसलिए वादीगण वादग्रस्त भूमि की
खातेदारी की घोषणा व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा हेतू वाद पेश
किया है । वादग्रस्त भूमि मे पिछले 60 वर्षो से अधिक समय से वादीगण का
कब्जा काश्त होने एवं वर्तमान मे शिकमी काश्तकार की कोई श्रैणी नही होने के
कारण वादीगण वादग्रस्त भूमि मे से प्रतिवादीगण के पिता मृतक इन्द्रसिंह का नाम
हटवा कर एवं वादीगण का शिकमी काश्तकार का इन्द्राज हटाया जाकर वादीगण
वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है ।
वादग्रस्त भूमि मे पिछले 60 वर्षो से अधिक समय से आज दिन तक वादीगण का
शांन्ति पूर्वक कब्जा काश्त होने से पजेशन के अनुसार भी खातेदार होने एवं उक्त
भूमि मे वादीगण की कदीमी रिहासी ढाणीये, बाडे टांके आदि बने होने एवं वादग्रस्त
भूमि का तावसूली लगान वादीगण एंव वादीगण के पूर्वजो द्वारा अदा किया हुआ
होने तथा प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ
मामला वादीगण के पक्ष मे बनता है। यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त
भूमि से बेदखल कर जबरन कब्जा कर लिया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी
जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो मे नही की जा सकेगी । सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण
के पक्ष मे बनता है । अन्त मे वादीगण ने अपनी इस्तदुआ मे चाहा कि ग्राम चैराई
की सरहद मे खसरा नम्बर 1858 रकबा 2 बीस्वा, गै.मु.बाडा, खसरा नम्बर 1859
रकबा 5 बीस्वा, गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1860 रकबा 102 बीघा 11 बीस्वा भूमि के

सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

रेकर्ड मे इन्द्रसिंह पुत्र श्री पदमसिंह राजपूत साकिन चांदसमा का नाम जावे एवं वादीगण के नाम के साथ दर्ज सिकमी काश्तकार हटाया जाकर को खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण बर खिलाफ दीगण सादिर फरमाई जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बर खिलाफ दीगण इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण किसी की दखलन्दाजी नही करे, वादीगण को बेदखल नही करे और न ही किसी से करावे ।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये तलब किया गया प्रतिवादीगण के समन बाद तामील प्राप्त हुए जो सामिल किये गये । प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ और न ही अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया और न ही उक्त वाद का खण्डन किया इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई । वादीगण ने अपनी साक्ष्य मे गवाहान पी.डब्ल्यू–1 भाकरराम के बयान करवा करके गवाह से लु जमाबन्दी ई.एक्स–1 पासबुक की फोटो प्रति ई. एक्स–2 व–3 नजरी नक्शा एक्स–4 , गिरदावरी सम्वत 2024 से 2027 की नकल ई.एक्स–5, गिरदावरी कल सम्वत 2020 से 2023 की नकल ई.एक्स–6 ,जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2017 की नकल ई.एक्स–7, खाद्य विभाग के मांग पत्र ई.एक्स –8, लगान की रसीदे ई. क्स–9 से ई.एक्स 13 प्रदर्शित करवाये गये । उसके बाद गवाह पी.डब्ल्यू–2 मोहनराम, पी. डब्ल्यू –3 फुलाराम, पी.डब्ल्यू –4 कानाराम, पी.डब्ल्य–5 बगडुराम के शपथ बयान करावाये गये । वादी के निवेदन पर कमीश्नर से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई ।.

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्शित राजस्व रेकर्ड गिरदावरी, जमाबन्दी व लगान की रसीदो का अवलोकन किया गया एवम् वादग्रस्त भूमि के चहुदिशा के गवाहान के बयानो को पढा गया तथा कमीश्नर ,तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड से यह साबित है कि वक्त बन्दोबस्त सम्वत् 2014 से वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त व ढाणी दर्ज है । वार्षिक रजिस्टर जमाबन्दी सम्वत 2014 की नकल वादीगण बतौर शिकमी काश्तकार के खातेदारी मे दर्ज है । वादीगण ने समय समय पर लगान भी अदा किया है जिनकी रसीदे पेश हुई है । कमीश्नर तहसीलदार तिवंरी व हल्का आर.आई. व पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट मे नजरी नक्शे मे लाल स्याही से अंकित वादीगण की 12–13 रिहायसी ढाणीयो व टांके बताये है तथा वादीगण की काश्त बाजरी, मूंग, मोठ की फसले बोई हुई बताया गया है तथा ढाणीयो मे वादीगण का रहवास भी बताया गया है इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि मे वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त व रहवास होना साबित है तथा प्रतिवादीगण का मौके पर कोई कब्जा काश्त व रहवास होना नही बताया गया है । सभी गवाहान ने भी अपने बयानो मे वादीगण ही कब्जा काश्त होना बताया है इस प्रकार से दस्तावेजी साक्ष्य व मोखिक साक्ष्य को नही मानने का कोई कारण दर्शित नही होता है ।

Scanned with CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत सिकमी काश्तकार का नामांकन रजिस्टर जमाबन्दी व गिरदावरी मे दर्ज होने तथा उसके द्वारा लगान अदा करने एवम् मौके पर लगातार कब्जा काश्त होने एवम् सिकमी काश्तकार के खिलाफ धारा 180 मे कोई बेदखली नही की गई है और न ही कोई बेदखली की कार्यवाही विद्यमान है , ऐसी सूरत मे शिकमी काश्तकार स्वतः ही खातेदार होने का अधिकारी हो जाता है इस प्रकरण मे वादीगण धारा 19 आर.टी. के तहत खातेदारी की घोषणा के अधिकारी होना सम्पूर्ण साक्ष्य सबूत से प्रमाणित पाये जाते है । वक्त बन्दोबस्त वादीगण के पूर्वज तेजा, काना, जोरा, गोदिया, दुरगीया पी. कोजा विश्नोई सा.देह खतौनी सम्वत 2014 के अनुसार सिकमी काश्तकार थे तथा उनके देहान्त के बाद बजरीये नामान्तकरण के वर्तमान मे वादीगण खतौनी मे सिकमी काश्तकार दर्ज है । प्रतिवादीगण का मौके पर कोई कब्जा काश्त भी नही है इसलिए वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1858 रकबा 2 बीस्वा, गै.मु.बाडा, खसरा नम्बर 1859 रकबा 5 बीस्वा, गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1860 रकबा 102 बीघा 11 बीस्वा भूमि ग्राम चैराई तहसील तिवंरी के वादीगण को खातेदार घोषित किये जाते है तथा वादग्रस्त भूमि मे से खातेदार इन्द्रसिंह व उसके वारिसान नखतसिंह वगैरा के नाम विलोपित किये जाकर उनके स्थान पर उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावे । इसके साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा चैराई के खसरा नम्बर 1858 रकबा 2 बीस्वा, गै.मु.बाडा, खसरा नम्बर 1859 रकबा 5 बीस्वा, गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1860 रकबा 102 बीघा 11 बीस्वा भूमि मे वादीगण के कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे और नही किसी से करावे । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे । वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करे । पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलक्टर, ओसिया

निर्णय आज दिनाक 20/10/2020 को सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलक्टर ,ओसियां

Scanned with CamScanner